संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि० सीतापुर द्वारा जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सीतापुर—हरदोई मार्ग (राजमार्ग सं० 330 डी) किमी० ० से ४० के मध्य कुल किमी० ४० की दूरी में मार्ग का २ लेन पेब्डसोल्डर, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण सीतापुर रेंज के अर्न्तगत कि०मी० ०.० से 12 तक दिनांक—28.06. 2022 को एवं मिश्रिख रेंज अर्न्तगत कि०मा० 12 से ४० दिनांक—16.07.2022 से 22.07.2022 तक वन विभाग के साथ किया गया। संयुक्त निरीक्षक प्रस्तावक विभाग के श्री अक्षय कुमार सहायक इंजीनियर डावरी मोड दिल्ली द्वारा, श्री दीपक कुमार सहायक इंजीनियर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सीतापुर एवं मिश्रिख सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

1—सीतापुर—हरदोई मार्ग (राजमार्ग—सं० 330 डी) कि०मी० 0.00 से कि०मी० 38.853 के मध्य कुल 38.853 की दूरी में मार्ग चौडीकरण से प्रभावित भूमि उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति सं0—1115/14—331—50, दिनांक—10 फरवरी 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित हैं। मार्ग चौडीकरण कार्य 28.707 हें0 वन भूमि को वनेत्तर कार्य हेतु लिया जाना प्रस्तावित हैं।

2-प्रस्तावित मार्ग चौडीकरण में बाधक वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवार सूची संलग्न है।

3-प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया है, मार्ग चौडीकरण कार्य की अनुमति उच्च स्तर से मिलने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4—भू स्वामित्व विभाग लो०नि०वि० के स्वामित्व वाले संरक्षित वन भूमि परमार्ग चौडीकरण से प्रभावित भूमि 28.707 हे० भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी, निवास नहीं कर रहें, तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत कोई दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं हैं।

5— प्रस्तावित मार्ग के चौडीकरण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) क्षेत्रफल 28.707 हे0 के अतिरिक्त अन्य काई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की

मॉग न्यूनतम है।

क्षेत्रीय वैनाधिकारी सीतापुर क्षेत्रीय वनीधिकारी मिश्रिख

अधिशाषी अभियन्ता ध्याष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लो०नि०वि० कानपुर

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, 19.61-2022 सीतापुर

SITE INSPECTION REPORT (NOT BELOW THE RANK OF DCF)

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer National Highways Division of Uttar Pradesh, PWD Kanpur, UP For Division under FCA-1980 of 28.707 Ha. Of Forest land for Non-forestry purpose. The Project Envisages the use of forest land for construction of Road Up-gradation of NH-Division 2 Lane with paved Shoulder from Km.0.00 to 38.853 (Sitapur to Hardoi Road-NH-330D) in Sitapur District. The Site inspection of the land involved in the proposel has been done by me on Dated. 22.7.2622.......

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is the protected forest measuring 28.707 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in coloumn-2 of part-1 is unavoidable and bare minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna are found in the area, if so, the details there of N.A

Whether any protected archaeological/heritage site/defenc establishment or any other monument is located in the area. If so, the details there of with NOC form fompetent authority if required. NO.

The user agency has not violated the provision for the Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Recommended for the Acceptance of the Proposal.

Place: Sitapur

Date:

Divisional Director
Social Forestry Division
Sitapur